भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न सं.*261

जिसका उत्तर 04.08.2022 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा

*261. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण से बचने के लिए एक नई प्रणाली शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का चरणबद्ध तरीके से डीजल वाहनों का उपयोग बंद करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गई है और इस उद्देश्य के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है ताकि केरल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित किया जा सके; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध मे क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

'इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा' के संबंध में श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पूछे गए दिनांक 04.08.2022 के लोक सभा मौखिक प्रश्न सं. *261 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

.....

(क) और (ग) 1. परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल साधनों को बढ़ावा देने और परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन अर्थात् गैसोलीन (ई-10, ई-12, ई-15, ई-20), फ्लेक्स-ईंधन (ई 85) या (ई 100) के साथ इथेनॉल का मिश्रण और डीजल वाहनों के लिए इथेनॉल मिश्रण (ईडी 95), बायोडीजल, बायो- सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), मेथनॉल एम15 या एम100 और मेथनॉल एमडी 95, डुअल फ्यूल, एम85 और डाय-मिथाइल ईथर (डीएमई या डी100), हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, हाइड्रोजन सीएनजी व्यवस्था शुरू करने के लिए मास उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

2. भारी उद्योग मंत्रालय ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से 2015 में भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना शुरू की थी। वर्तमान में, 01 अप्रैल, 2019 से 10,000 करोड़ रुपये की कुल बजटीय सहायता से फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। यह चरण सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण में सहायता करने पर केंद्रित है।

3. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रोत्साहन / हतोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की रूपरेखा के तहत नियम जारी/संशोधित किए गए हैं। निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है: -

(i) सा.का.नि. अधिसूचना 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 के तहत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(ii) सा.का.नि. अधिसूचना 652 (अ), दिनांक 23.09.2021 में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(iii) सा.का.नि. अधिसूचना 714 (अ), दिनांक 04.10.2021 के तहत वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में और संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(iv) सा.का.नि. अधिसूचना 720 (अ), दिनांक 05.10.2021 "निक्षेप प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने पर पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान करती है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गई है।

(v) सा.का.नि. अधिसूचना 272 (अ), दिनांक 05.04.2022 के तहत केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है -

(i) भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से और

(ii) मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी।

(vi) सा.का.नि. अधिसूचना 177 (अ), दिनांक 12.03.2021 में पंद्रह वर्षों की समाप्ति के बाद सरकारी वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के गैर-नवीनीकरण का प्रावधान है।

(vii) सा.का.नि. अधिसूचना 166 (अ), दिनांक 28.02.2022 के तहत वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता और मोटर वाहन के पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के तरीके का प्रावधान किया गया है।

(viii) सा.का.नि. अधिसूचना 192 (अ), दिनांक 10.03.2022 में मोटर यान (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के पंजीकरण और कार्य) नियमावली, 2021 में संशोधन के प्रावधान है, जिसे पहले सा.का.नि. 653 (अ), दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

(ix) सा.का.नि. अधिसूचना 221 (अ), दिनांक 25.03.2022 "स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण" के नियमों में कुछ संशोधन करने के लिए प्रकाशित की गई है, जिसे पहले सा.का.नि. 652(अ), दिनांक 23.09.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

(ख) 1. सा.का.नि. अधिसूचना 177 (अ), दिनांक 12.03.2021 में पंद्रह वर्षों के बाद सरकारी वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के गैर-नवीनीकरण का प्रावधान है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में दिनांक 29.10.2018 के आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि दिनांक 07.04.2015 के एनजीटी के आदेश के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे।

(घ) और (ड.) 1. फेम इंडिया चरण-II के तहत केरल राज्य को 250 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति दी गई है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य**	**जिला**	**फेम-II के तहत स्वीकृत ई-बसों की संख्या**
1	केरल	तिरूवनंतपुरम	100
2		कोची	100
3		कोझीकोड	50
कुल			250

2. इन 250 इलेक्ट्रिक बसों के लिए चयनित शहर/राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुपुर्दगी पत्र जारी नहीं किए गए थे।

*****